



सीमाशुल्कप्रधानआयुक्तकाकार्यालय  
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF CUSTOMS  
हवाईअड्डाऔरएयरकार्गोकॉम्प्लेक्सआयुक्तालय / AIRPORT AND AIR CARGO COMPLEX  
COMMISSIONERATE  
एयरइंडियासाट्सएयरफ्रीटर्मिनल, दूसरातल, देवनहल्ली, बेंगलूर  
AIR INDIA SATS AIR FREIGHT TERMINAL 2<sup>ND</sup> Floor: KIAP: DEVANAHALLI BENGALURU-  
560300 080-22001463/64

लोक सूचना सं /PUBLIC NOTICE. NO. 02/2020 - दिनांक/DATED - 11.02.2020

विषय: ट वरित कार्गो निकासी प्रणाली (ईसीसीएस) के अधीन सिस्टम द्वारा सीधी निकासी के संबंध में

Sub: Auto Out of Charge under Express Cargo Clearance System (ECCS)  
- reg.

\*\*\*\*\*

उपर्युक्त विषय के संबंध में सी.बी.आई.सी.के दिनांक 29.11.2019 के परिपत्र सं 40/2019 की ओर सभी आयातकर्ता, कोरियर्स, ई.आई.सी.आई और सभी फणधारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

Attention of the importers, Couriers, EICI and all other stakeholders is invited to the CBIC Circular No. 40/2019-Customs dated 29.11.2019 on the above subject.

2. संक्षिप्त रूप में, ई.सी.सी.एस के अधीन आयात किये गए कार्गो की निकासी के लिए दायर किये गए कोरियर आगम बिल जोखिम प्रबंधन प्रणाली के अधीन आएगा। जोखिम प्रबंधन सर्वर या तो कोरियर आगम बिल को निपटान करेगा या रोक देगा। निपटाये गए आगम बिल अगर कोई शुल्क अदायगी हो तो उसके भुगतान के बाद अंतिम सीधी निकासी के पहले एक स - रे स्क्रीनिंग के लिए बदल दिया जाता है।

Briefly, courier Bills of Entry (CBE) filed for clearance of imported cargo under ECCS are subjected to Risk Management System. The Risk Management Server either facilitates or interdicts a Courier Bill of Entry (CBE). The facilitated CBEs after payment of duty, if any are diverted for X-ray screening before final out of charge.

3. वस्तुओं को एक स - रे स्क्रीनिंग करने पर वह या तो वस्तुओं को निकासी कर देता है या उसको संदिग्ध अंकित कर देगा। जिन वस्तुओं पर संदिग्ध अंकित कर दिया गया है उनका परीक्षण उचित अधिकारी द्वारा किया जाएगा। बहरहाल, एक स रे द्वारा निकासी की

- ✓ गयी वस्तुओं को अधीक्षक शेड या मूल्य निरूपक को निकासी आदेश (ओ.ओ.सी) के लिए प्रेषित किया जाता है ।

The X-ray screening of goods may either 'clear' the goods or mark them as 'suspicious'. The goods marked 'suspicious' have to undergo examination by the proper officer. However, CBEs in respect of X-ray cleared goods are sent to the Shed Superintendent or Appraiser for Out Of Charge (OOC) order.

4. एक लदाई के लिए, सीमा शुल्क कार्यवाहियों जिसमें निर्धारण, अनिवार्य अनुपालन अपेक्षाओं, शुल्क भुगतान आदि शामिल हैं वह सब उस लदाई के एक सरे स्क्रीनिंग के पहले ही इलेक्ट्रॉनिकली समाप्त किया जाता है, एक बार लदाई की निकासी एक सरे स्क्रीनिंग के तहत होने पर, सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा निकासी आदेश जारी करना अपेक्षित नहीं है ।

The Customs procedures including assessment, compulsory compliance requirements, duty payment etc., for a shipment are electronically completed before the facilitated shipment is subjected to Customs X-ray screening; once the shipment is 'cleared' on X-ray screening, there may not be a requirement for a Customs officer to issue an Out of Charge order.

5. गत वर्षों में त्वरित कार्गो के सीमा पार संचार उल्लेखनीय रूप से बढ़ गया है, जिसके कारण कार्यवाहियों को सरलीकरण करना अत्यंत आवश्यक बन गया है । यह भी पाया गया कि एक सीबीई को एक सरे स्क्रीनिंग के बाद सिर्फ निकासी आदेश देने के लिए अधीक्षक शेड, मूल्यनिरूपक से बचने के लिए सीधी निकासी कार्यवाही एक अच्छा प्रणाली है । अतः बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सीबीई के तहत निपटाए किये गये वस्तुओं, जो एक सरे स्क्रीनिंग के अधीन निकासी की गयी हैं उनके सीधी निकासी के अधीन निकासी आदेश दिया जा सकता है ।

Over the years, cross-border movement of express cargo has increased significantly which mandates simplification of procedure. It is also observed that sending a CBE after X-ray screening to the Shed Superintendent/Appraiser, merely for giving out of charge order, adds an avoidable step in the automated clearance process. Thus, it has been decided by the Board to automatically give out of charge to goods covered under facilitated CBE, which has been 'cleared' on Customs X-ray screening.

6. उपर्युक्त के अनुसार, सीबीई के तहत निपटाए किये गये वस्तुओं, जो एक सरे स्क्रीनिंग के अधीन निकासी की गयी हैं, उनके लिए उपर्युक्त सीधी निकासी (ओ.ओ.सी) का कार्यान्वयन किया गया है ।

In view of the foregoing, the said functionality of Auto OOC in respect of facilitated CBE, which has been 'cleared' on Customs X-ray screening has been implemented.

7. यह सभी आयातकर्ता, कोरियर्स, ई.आई.सी.आई एवं सभी फण्टारियों के ध यान में लाया जाता है ।

The same is brought to the notice of importers, Couriers, EICI and all other stakeholders.

8. अगर इस लोक सूचना के कार्यन् वयन में कोई मुश्किल सामने करने पर उसीको अधोहस् ताक्षरी के ध यान में ला सकते हैं ।

Difficulty, if any, in implementation of this Public Notice may be brought to the notice of the undersigned.

अशोक

(अशोक/ASHOK)

प्रधान आयुक्त / PRINCIPAL COMMISSIONER

फाईल सं VIII/48/97/2020 BACC TECH के तहत जारी किया जाता है  
Issued from File C.No.VIII/48/97/2020 BACC TECH

प्रति प्रस् तुत/ Copy submitted to:

- 1) मुख य आयुक्त, सीम शुल् क, बेंगलूरु अंचल, केंद्रीय राजस् व भवन, बेंगलूरु  
The chief Commissioner of Customs, Bengaluru Zone, C.R. Building, Bengaluru

प्रति प्रेषित/ Copy to:

- 1) सभी अपर/संयुक्त त/उप/सहायक आयुक्त, एयरपोर्ट एवं एसीसी आयुक्त तालय बेंगलूरु  
All the ADCs/JCs/DCs/ACs, Airport & ACC Commissionerate, Bengaluru
- 2) कर्नाटक संघ, चेंबर ऑफ कामर्स एवं औद्योग, (एफ.के.सी.सी.आई) सं९९९६, केंपेगौडा रोड,  
गांधीनगर, बेंगलूरु।  
Federation of Karnataka, Chamber of Commerce & Industry (FKCCI), No.9996,  
Kempgowda Road, Gandhinagar, Bengaluru
- 3) बेंगलूरु सीमा शुल् क ब्रोकर्स एजेंट, सं 71, कार्गो विल लेज, बी-८ लाक, बेंगलूरु, अंतरराष्ट्रीय  
एयरपोर्ट, देवनहल ली, बेंगलूरु  
Bangalore Customs Brokers Agents Association, No.71, Cargo Village, B-Block,  
Bengaluru International Airport, Devanahalli, Bengaluru
- 4) भारतीय निर्यातकर्ता संस् थान संघ, (एफ.आई.एफ.ओ) 1 तल, वी.आई.टी.सी भवन, कस् तुरीब  
रोड, बेंगलूरु  
Federation of Indian Export Organisation (FIFO), 1st Floor, VITC Building, Kasturba Road,  
Bengaluru
- 5) बेंगलूरु सीमा शुल् क वेब साईट /Bengaluru Customs Website
- 6) सूचना पट्ट /Notice Board.
- 7) बेंगलूरु के सभी कोरियर एजेंसीस/ All Courier Agencies Operating at Bengaluru
- 8) मास् टर फाईल/ Master file